कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, (नैनीताल)

पत्रांकः– केन्द्रीय छात्रवृत्ति / 011 / 2017–18 दिनांक : 05अगस्त, 2017

विज्ञप्ति

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं) के लिए संस्तुत की जानी है। मंत्रालय द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह विद्यार्थियों का चयन इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2017 में सम्मिलित **Top 20 Percentile** उत्तीर्ण विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के परीक्षार्थियों में से किया जाना है। ऐसे विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित कर लिए जाते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रथम तीन वर्षों में रू0 10000.00 (दस हजार रूपया मात्र) प्रति वर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में रू0 20000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है। छात्रवृत्ति के भविष्य में प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा उच्च शिक्षा में प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु **Top 20 Percentile** के आधार पर वर्गवार एवं जातिवार न्यूनतम कटऑफ अंक निम्न तालिका के अनुसार रहेगा–

1.

श्रेणी	वर्गवार न्यूनतम प्रतिशत अंक		
	विज्ञान	वाणिज्य	कला
सामान्य	65.20	58.80	57.60
अ0पि0वर्ग	64.00	57.40	59.00
अनु0जाति	61.40	55.40	56.00
अनु0ज0जाति	62.00	53.80	55.80

2. संस्थागत विद्यार्थियों के रूप में सत्र 2017–18 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज के विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों।
3. विद्यार्थी को किसी अन्य श्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
4. जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रूपया 6.00 लाख से अधिक न हो और क्रीमीलेयर की परिधि से बाहर हो।

जो विद्यार्थी उक्त **Fresh** छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे **National Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in)** पर दिनांक 31 अक्टुबर, 2017 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकते हैं।

- इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2017 के परीक्षार्थी नवीन (**Fresh**) छात्रवृत्ति हेतु पूरित आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) को कदापि प्रेषित न करें, केवल **Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in)** पर ही ऑनलाइन आवेदन करें।
- जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सत्र 2015–16 एवं 2016–17 हेतु नवीन (**Fresh**) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हों तो **Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in)** पर दिनांक 31 अगस्त, 2017 से पूर्व ऑनलाइन **renewal** हेतु आवेदन करें।
- केन्द्रीय छात्रवृत्ति (**Fresh/Renewal**) हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों के बैंक खाते बैंक के किसी भी सी0बी0एस0 शाखा में पंजीकृत होने के साथ खाते को आधार नम्बर से लिंक करवाना तथा आवेदन पत्र में स्वयं का खाता नम्बर एवं आधार नम्बर का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2013, 2014 हेतु नवीन (**Fresh**) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे नवीनीकरण हेतु अर्ह हों तो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की बेवसाइट **www.ubse.uk.gov.in** से संशोधित नवीनीकरण आवेदन पत्र डाउनलोड करने के उपरान्त फॉर्म को पूरित कर अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सहित परिषद् कार्यालय को दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में यदि वे छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- छात्रवृत्ति हेतु सभी ऑनलाइन आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र को अपने शिक्षण संस्थान से **Online Verified** करायें। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट :– उक्त कटऑफ मेरिट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु मात्र अर्ह बनाता है, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होने की कोई गारन्टी नहीं देता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आवंटन मानव संशाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्तराखण्ड बोर्ड के कुल 616 विद्यार्थियों को देय होगा, जिसमें परिषद् कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।